कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला इन्दौर (म.प्र.)

इन्दौर, दिनांक ....

क्रमांक / आब. / कोर्ट / 2017 /

विज्ञप्ति

आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पत्र क्रमांक (6–अ) 2016–17 / लाय. / 208 दिनांक 09.02.2016 के पालन में मेसर्स शैम्पेन इंडेज लिमिटेड, बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार पूर्व एफ.एल.–10क, लायसेंसी 32, एस.आर. कम्पाउण्ड, लसूड़िया मोरी, देवासनाका, इंदौर पर संग्रहित विदेशी मदिरा वाईन की 70600 बोतल एवं 8040 अद्दी के स्कंध का नष्टीकरण कराया जाना है।

अतः उक्त नष्टीकरण के संबंध में किसी को कोई आपत्ति / दावा पेश करना हो तो एक सप्ताह के अंदर वैध अभिलेख सहित इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में दावा / आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में उक्त मदिरा का नष्टीकरण नियमानुसार किया जावेगा।

sd/-
कलेक्टर
जिला इन्दौर (म.प्र.)
इन्दौर, दिनांक 22/02/17

पृष्ठा.क्रमांक / आब. / कोर्ट / 2017 / 1043
प्रतिलिपि,

1. आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त जनसम्पर्क, बाणगंगा, भोपाल की ओर विज्ञप्ति की 03 प्रतियां मय सॉफ्ट कॉपी की सी.डी. प्रेषित कर अनुरोध है, कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को तीन राज्य स्तरीय समाचार पत्रों एवं 04 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
3. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .... जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
4. प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र, (एन.आई.सी.) इंदौर की ओर जिले की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
5. समस्त तहसीलदार तहसील .... जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
6. संयुक्त संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जन संपर्क कार्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने हेतु।
7. सहायक जिला आबकारी अधिकारी / आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त .... जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु।
8. कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला इन्दौर, कक्ष क्रमांक 209, प्रशासनिक संकुल, इंदौर के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

कलेक्टर
जिला इन्दौर (म.प्र.)